मै0 देवी भगवती मिनरल्स ग्रामः–ढपटी, तहसील काण्डा जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 20.08.2024 को आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 देवी भगवती मिनरल्स ग्रामः–ढपटी तहसील काण्डा जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड के सोप स्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल 19.12 है0) हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 यथासंशोधित के अंतर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्रों अमर उजाला (उत्तराखण्ड संस्करण) एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया (दिल्ली संस्करण) में दिनांक 18.07.2024 के अंकों में प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को प्राप्त कराई गयी तथा दिनांक 20.08.2024 को लोक सुनवाई प्रस्तावित की गई तदक्रम में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 20.08.2024 प्रातः लगभग 11:00 बजे निकट परियोजना स्थल तहसील काण्डा जनपद बागेश्वर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार है।

सर्वप्रथम डॉ0 डी0के0 जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित कार्मिकों का स्वागत किया गया तथा परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था पी0एण्डएम0 सौल्यूशन नोएडा उ0प्र0 के श्री भरत सिंह रावत द्वारा द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना सोप स्टोन माईनिंग परियोजना से 62 लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खनन कार्य ओपन कास्ट मेकेनाइज्ड/सेमिमेकेनाइज्ड विधि से किया जायेगा। खनन क्षेत्र में दो पिटो का प्राविधान किया गया है। खनन से 05 वर्षों में कुल 164882 (टन) के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। क्षेत्र की मिट्टी की गुणवत्ता का आंकलन करने के लिए खनन क्षेत्र में और उसके आस–पास मिट्टी के तीन नमूने एकत्र किये गये। मिट्टी की भौतिक विशेषताओं को विशिष्ट मापदण्डों के माध्यम से चित्रित और अध्ययन करने पर पाया परिणामों के आधार पर यह स्पष्ट है कि मिट्टी किसी भी प्रदूषणकारी स्त्रोत से दूषित नहीं है। परियवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी से पता चलता है कि आवासीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के भीतर है।

क्रमशः–2

पेयजल गुणवत्ता मानक सभी भौतिक–रासायनिक मानकों और भूजल नमूनों से भारी धातुएं पीने के पानी के मानकों के लिए निर्धारित सीमा से नीचे हैं। अध्ययन अवधि के दौरान अध्ययन क्षेत्र में एकत्र किये गये सभी नमूनों का पीएच मान सीमा के भीतर पाया गया। अध्ययन क्षेत्र से एकत्र किये गये पानी की नमूनों को खतप के लिए फिट पाया गया, अधिकांश भूजल के नमूने आईएस के अनुसार, अनुमेय सीमा के भीतर अच्छी तरह से हैं। सभी नमूनों में अधिकांश भारी धातुएं पता लगाने योग्य सीमा से नीचे है। शोर की निगरानी अध्ययन क्षेत्र के 10 किमी क्षेत्र के भीतर शोर की गुणवत्ता की स्थिति एमओईएफ मानकों के भीतर है। खनन क्षेत्रान्तर्गत कोई भी सार्वजनिक भवन एवं स्मारक आदि नहीं हैं जिससे खनन गतिविधियों में कोई विस्थापन सम्मिलित नहीं किया गया है। क्षेत्र में खनन गतिविधियों का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। प्रस्तावित परियोजना स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करेगी और जब भी जनशक्ति की आवश्यकता होगी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। वन जीवन की संवदेनशीलता एवं महत्व के बारे में श्रमिकों को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जायेगा। आरक्षित वन क्षेत्र में श्रमिकों व वाहनों के आवागमन के लिए कोई पथ या नई सड़क नहीं बनायी जानी चाहिए इससे वन विखण्डन, अतिक्रमण और मानव पशु मुठभेड को रोका जा सकेगा। अयस्क सामग्री ले जाने के लिए केवल कम प्रदूषण वाले वाहन को ही अनुमति दी जाएगी। वन क्षेत्र में हॉन की अनुमति नहीं होगी, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) सीपीसीबी मापदण्डों के अनुसार ध्वनि स्तर अनुमन्य सीमा के भीतर होगा। ध्यान रखा जायेगा कि मजदूरों द्वारा किसी भी जानवर का शिकार न किया जाय। यदि जंगली जानवरों को को कोर जोन पार करते हुए देखा जाता है, तो उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जायेगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत मजदूरों को भोजन, प्लास्टिक को त्यागने की अनुमति नहीं होगी आदि जो कोर साइट के पास जानवरों को आकर्षिक कर सकते हैं। किसी भी पेड़ को काटना, लकड़ी काटना, झाड़ियों और जड़ी–बूटियों को उखाड़ना नहीं चाहिए। आरक्षित वन क्षेत्र में अयस्क सामग्री की कोई भी ड्रिलिंग नहीं होनी चाहिए। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के संग्रह पूरी तरह से प्रतिबंधित होगे। खदान के आसपास के पर्यावरण पर खनन के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल कार्य किया जायेगा। परियोजना के माध्यम से सी0ई0आर0 कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मदों हेतु बजट की कुल धनराशि रू0– 4.75 (लाख में) रखी गयी है जिसको जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों से प्राप्त सुझावों के आधार पर परिवर्तित किया जायेगा। पर्यावरण के संरक्षण हेतु पूँजीगत लागत धनराशि रू0– 9.71 (लाख में) तथा आवर्ती लागत धनराशि रू0– 6.40 (लाख में) का प्राविधान रखा गया है साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि सीमा के साथ रिटेनिंग वॉल के लिए पूजीगत लागत रू0– 1.50 (लाख में) को परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त इस धनराशि का बढ़ाकर रू0– 3.00 (लाख में) किया जायेगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत मजदूरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। खनन गतिविधियों के प्रारम्भ होने के पश्चात ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार होगा, खदान में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, यह चिकित्सा सुविधाएं आपात स्थिति में आस–पास के स्थानीय लोगों को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

क्रमशः–3

मानसून प्रारम्भ होने से पहले सभी खनन गढढों को अपशिष्ट पदार्थ द्वारा भरकर समतल कर लिया जायेगा ताकि बरसात में अपशिष्ट पदार्थ के रिसाव की रोकथाम की जा सके समतलीकरण किये हुय भूम पर मानसून सत्र के दौरान खेती की जायेगी। नालों में चैक डैम भी बनाये जायेंगे, ताकि बरसात का साफ पानी चैक डैम के माध्यम से निकल जाय तथा अपशिष्ट पदार्थ चैक डैम की सतह पर एकत्रित हो सके। खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव के बिना आगे बढ़ सकती है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समुदाय से उनके सुझाव, आपत्तियां एवं टीका—टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। उपस्थित टीका टिप्पणी, विचार तथा सुझाव का विवरण निम्नवत हैः—

1. श्री बलवन्त सिंह धामी ग्राम ढपटी तहसील काण्डा जनपद बागेश्वर— सर्वप्रथम श्री धामी द्वारा जनसुनवाई की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर व क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी का स्वागत व अभिनन्दन करते हुए जानना चाहा कि खनन क्षेत्र कहां प्रस्तावित है। खनन परियोजना प्रस्तावक कौन है संज्ञान में नहीं है। तदक्रम में अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा पुनः प्रस्तुतीकरण के माध्यम से खनन परियोजना का सीमाबन्धन युक्त प्रस्तावित नक्शा श्री धामी को दिखाते हुए प्रस्तावित खनन क्षेत्र के संबंध में बताया गया।

तद्पोरान्त श्री धामी द्वारा पुनः कहा गया कि खनन हेतु उनके द्वारा अनापत्ति नहीं दी गयी है। मैं खनन कार्य से सहमत नहीं हूँ। क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से संचालित खड़िया माइनों के द्वारा रास्ते ध्वस्त हो चुके हैं तथा उनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। जिला खनन न्यास में संरक्षित धनराशि से भी क्षेत्रान्तर्गत कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। गांव में इस समय वायरल फैला हुआ है और सभी लोग बीमार हैं।

इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया कि जिला खनन न्यास में संरक्षित धनराशि एवं पट्टाधारक द्वारा सी0एस0आर0 में प्राविधानित दोनों ही धनराशियां अलग—अलग हैं। सीएसआर में प्राविधानित धनराशि पट्टाधारक को प्रतिवर्ष क्षेत्र के विकास के लिए ग्राम सभाओं से प्रस्ताव प्राप्त कर अनिवार्य रूप से व्यय किया जाना होता है। व्यय धनराशि का सम्पूर्ण विवरण फाइल पर रखना पट्टाधारक का दायित्व होता है यदि क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से संचालित माइनों के पट्टाधारकों द्वारा सीएसआर एवं पर्यावरण प्रबन्धन में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कोई भी कार्य/धनराशि व्यय नहीं की जा रही है तो इसकी लिखित शिकायत करें। यदि अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है तो प्रभावित पक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा मा0 सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। जिला खनन न्यास की धनराशि से क्षेत्रान्तर्गत के कार्यों यथा स्कूल मरम्मत, रास्तें, क्षतिग्रस्त पेयजल लाईनें, रिटेनिंग वॉल आदि का प्रस्ताव नियमानुसार तैयार कर प्रस्तुत किये जा सकते हैं। जिनमें कार्य के प्राथमिकता के आधार पर समिति द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

2— श्री चंचल सिंह धामी ग्राम ढपटी तहसील काण्डा जनपद बागेश्वर— श्री चंचल सिंह द्वारा कहा गया कि क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से संचालित खनन माइनों से रास्ते ध्वस्त हो चुके हैं।

क्रमशः—4

इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री चंचल सिंह से अन्य माईनों की अलग से शिकायत करने की अपेक्षा की गयी।

3– श्री शेर सिंह धामी ग्राम ढपटी तहसील काण्डा जनपद बागेश्वर– श्री शेर सिंह द्वारा कहा गया कि यह बैठक किस संबंध में हो रही है पता नहीं है परन्तु खनन का विरोध है। क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से आवासीय भवन धँस रहे हैं आप जाकर निरीक्षण कर सकते है। यदि खनन होता है तो आवासीय भवन बह जायेंगे।

4– श्री राम सिंह ग्राम ढपटी तहसील काण्डा जनपद बागेश्वर– श्री राम सिंह द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना आवासीय भवनों के ठीक नीचे है यदि नीचे खोद दिया जायेगा तो जमीन चली जायेगी। जिस कारण 10 आवासीय भवनों को खतरा हो जायेगा। खनन से आपत्ति है। खनन से पूर्व आपत्ति का समाधान करते हुए अन्यत्र भूमि व मकान दिया जाय। यदि ऐसा ही रहेगा तो भूमि व आवासीय भवन चले जायेंगे, हम कहां जायेंगे। सर्वे करा कर समाधान कर लिया जाय परियोजना स्थापित मत करों नहीं कहते हैं समाधान करें। आप लोगों के हाथ में है।

5– श्री राजेन्द्र सिंह नगरकोटी (परियोजना प्रतिनिधि)– श्री नगरकोटी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना आवासीय भवनों से 100 मी0 नीचे है। जिस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री नगरकोटी से पृच्छा की गयी कि भूमि धँसने तथा क्षति होने पर आवास बनाकर देंगे। खनन क्षेत्र से बाहर भी यदि किसी आवासीय भवन को क्षति होती है तो क्या आवास बनाकर क्षतिपूर्ति देंगे जिस संबंध में परियोजना प्रतिनिधि द्वारा अध्यक्ष महोदय के सम्मुख अपनी सहमति व्यक्त की गयी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि खनन पट्टाधारकों द्वारा पर्यावरणीय प्रबंधन में प्राविधानित बजट के अनुसार क्षतिग्रस्त रिटेनिंग वॉल, धूल के दमन हेतु पानी का छिड़काव आदि की व्यवस्था पट्टाधारक द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं इसको स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा देखे जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार सी0एस0आर0 मद अन्तर्गत स्कूलों के स्मार्ट क्लास, अध्यापकों का वेतन, मंदिरों का रख–रखाव प्रतिवर्ष किया जा रहा है अथवा नहीं। यदि क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से संचालित खड़िया पट्टाधारकों द्वारा इस संबंध में कोई कार्य नहीं किये गये है तो उपस्थित ग्रामीणों से शिकायत करने की अपेक्षा की गयी।

इस संबंध में उपस्थित ग्रामीणों को क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0नि0,बोर्ड हल्द्वानी द्वारा स्पष्ट कराया गया कि पट्टाधारक द्वारा पर्यावरणीय प्रबंधन एवं सी0एस0आर0 मद में व्यय की जा रही धनराशि की अनुपालन आख्या सम्पूर्ण कागजी कार्यवाही पूर्ण कर प्रत्येक 06–06 मांह प्रेषित किया जाता है जिसको ग्रामीणों को देखने की आवश्यकता है।

तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा उपस्थित लोगों से पुनः सुझाव/आपत्तियों हेतु अनुरोध किया गया तथा कहा गया कि आपसे प्राप्त सुझावों/आपत्तियों को जनसुनवाई के कार्यवृत्त में सम्मिलित किया जायेगा। आपसे प्राप्त सुझाव/आपत्तियां प्रस्तावित परियोजना के संबंध में महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

अन्य सुझाव/टिप्पणियॉ प्राप्त न होने पर परियोजना प्रस्तावक एवं उपस्थित सभी कार्मिकों एवं क्षेत्रवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई का समापन किया गया।

क्रमशः–5

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति दर्ज पंजिका की गयी।

(डॉ0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0नि0 बोर्ड, हल्द्वानी।

(एन0एस0 नबियाल),
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर।

मै० देवी भगवती मिनरल्स द्वारा श्रीमती रूची साह, श्री अनिल गड़िया, श्रीमती ममता साह द्वारा ग्राम- दफ्टी, तहसील- काण्डा, जिला- बागेश्वर में प्रस्तावित सोप स्टोन माइनिंग (क्षे०- 19.412 है०) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थिति का विवरण:—

परियोजना स्थल:- प्राथमिक विद्यालय, दफ्टी, बागेश्वर।
समय एवं तिथि:- प्रातः- 11:00 बजे, दिनांक 20 अगस्त 2024

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	एन० एस० नबियाल	अपरजिलाधिकारी, बागेश्वर	[signature]
2.	डा० डी० के० जोशी	क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र०नि०बोर्ड, हल्द्वानी	[signature]
3.	भरत सिंह रावत	पर्यावरण सलाहकार	[signature]
4.	चन्द्रवल्लभ जोशी	अनु० सहा० उ०प्र०नि० बोर्ड हल्द्वानी	[signature]
5.	कुन्दन तिवारी	PA to ADM बागेश्वर	[signature]
6.	बलवन्त सिंह	ग्राम दपटी	बलवन्त सिंह
7.	मंगल सिंह धामी	दपटी	मंगल सिंह
8.	कमल सिंह	ग्राम दपटी पो० दपटी	[signature]
9.	जगत सिंह	" "	[signature]
10.	रघुवर सिंह		रघुवर सिंह
11.	मोहन सिंह		मोहन सिंह
12	गुमान सिंह		गुमान सिंह
13.	नरेन्द्र सिंह	दपटी	[signature]
14.	राजेन्द्र सिंह		राजेन्द्र
15.	कुन्दन धामी	"	[signature]
16.	नारायण सिंह धामी	"	[signature]
17.	दीपक सिंह धामी	"	[signature]
18.	चंचल सिंह धामी	"	[signature]
19.	गोपाल सिंह	"	भगवान सिंह
20.	भगवान सिंह	"	
21.			
22.			

जन सुनवाई
खनन परियोजना – मै0 देवी भगवती मिनरल्स
ढपटी सोपस्टोन डिपोजिट (क्षेत्रफल – 19.12 है0)
ग्राम व पो0 – ढपटी, तहसील – काण्डा, जिला – बागेश्वर (उत्तराखण्ड)
सुनवाई स्थल – ढपटी, बागेश्वर
समय व तिथि – प्रातः11 बजे, दिनांक – 20 अगस्त 2024
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजक
क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UEPPCD
आवास विकास कालौनी – हल्द्वानी (नैनीताल)
परियोजना प्रस्तावक –रूचि शाह व अन्य
पर्यावरण सलाहकार – पी0 एण्ड एम0 सोल्यूशन, सी–88, सेक्टर 65, नोएडा – उ0प्र0

जन सुनवाई
खनन परियोजना – मै0 देवी भगवती मिनरल्स
ढपटी सोपस्टोन डिपोजिट (क्षेत्रफल – 19.12 है0)
ग्राम व पो0 – ढपटी, तहसील – काण्डा, जिला – बागेश्वर (उत्तराखण्ड)
सुनवाई स्थल – ढपटी, बागेश्वर
समय व तिथि – प्रातः11 बजे, दिनांक – 20 अगस्त 2024
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजक
क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UEPPCD
आवास विकास कालौनी – हल्द्वानी (नैनीताल)
परियोजना प्रस्तावक –रूचि शाह व अन्य
पर्यावरण सलाहकार – पी0 एण्ड एम0 सोल्यूशन, सी–88, सेक्टर 65, नोएडा – उ0प्र0